न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घड़साना जिला श्रीगगांनगर

पीठासीन अधिकारी :— अभिलाषा आर ए एस

प्रकरण सख्या :— 2021/141 (जीसीएमएस)

हरनेक सिंह पुत्र बक्शीश सिंह उम्र 70 वर्ष जाति हरिजन साकिन घुदुवाला हाल 10 एसएम, तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर राज.।

....प्रार्थी

बनाम

स्टेट ऑफ राज. जरिये तहसीलदार राजस्व घड़साना जिला श्रीगंगानगर।

....अप्रार्थी

उपस्थितः— 1. श्री सीताराम टाक, वकील प्रार्थी।
2. स्टेट की ओर से राजपैरोकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा
136 भू—राजस्व अधिनियम

—: निर्णय :—

दिनांक :— 20.06.2022

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से तहसील घड़साना के चक 10 एसएम के प.नं. 8/29 मु.नं. 29 के किला नं. 1 ता 24 की कुल 5.9720 हैक्टेयर अनकमाण्ड कृषि भूमि आवंटनशुदा है एवं दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। आज से एक माह पूर्व प्रार्थी ने अपने नाम से आवंटित उक्त भूमि की खातेदारी लेने हेतु कार्यवाही करने के लिये हल्का पटवारी से सम्पर्क किया व अपने कागजात दिखाये तो प्रार्थी को हल्का पटवारी ने बताया कि आपके नाम से दर्ज उक्त भूमि के आवंटन आदेश व मौजूद राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में आपके पिता के नाम में भिन्नता है इसलिये पहले यह दुरस्त करवाना होगा। इस पर प्रार्थी ने अपने नाम से आवंटित उक्त भूमि की आवंटन पत्रावली का पता किया तो प्रार्थी को पता चला कि आवंटन आदेश दिनांक 02.07.1981 में सहवन से प्रार्थी के पिता का नाम बख्शीसिंह गलत दर्ज हो गया है जबकि उक्त भूमि के आवंटन हेतु प्रस्तुत आवेदन में प्रार्थी के पिता का नाम सही दर्ज किया गया है एवं वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में भी प्रार्थी के पिता का सही नाम बक्शीश सिंह दर्ज है, लेकिन सहवन से आवंटन आदेश में प्रार्थी के पिता का नाम बख्शी सिंह गलत दर्ज कर दिया गया है इसलिये उक्त भूमि के आवंटन आदेश में प्रार्थी के पिता का नाम बख्शी सिंह की जगह बक्शीश सिंह दुरस्त किया जाना न्यायोचित है। आवंटन पत्रावली मय आवंटन आदेश एवं जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है।

प्रार्थी के समस्त पहचान संबंधी दस्तावेजों में प्रार्थी के पिता का नाम बक्शीश सिंह दर्ज है जो सही है। प्रार्थी मात्र साक्षर व्यक्ति होने के कारण कभी कोई कागजात पर ध्यान नहीं दिया गया। प्रार्थी को हल्का पटवारी द्वारा ही अवगत करवाया गया है। तब प्रार्थी को पता चला इसलिये प्रार्थी द्वारा ईल्म के रोज से यह प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी ने उक्त दुरस्ती बाबत अप्रार्थी से निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि ऊपरी अदालत से आदेश लेकर आओ तभी दुरस्ती करेंगे इसलिये प्रार्थी श्रीमान जी के समक्ष यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है। उक्त रकबा आज भी प्रार्थी के कब्जा काश्त में है। किसी को आगे रहन व बैय नहीं किया गया है एवं ना ही किसी तरह से सार्वजनिक संस्था/कार्य हेतु आरक्षित है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि तहसील घड़साना के चक 10 एसएम के प.नं. 8/29 मु.नं. 29 के किला नं. 1 ता 24 की कुल 5.9720 हैक्टेयर अनकमाण्ड कृषि भूमि के आवंटन आदेश दिनांक 02.07.1981 में प्रार्थी के पिता का नाम बख्शी सिंह की जगह बक्शीश सिंह दुरस्त कर दर्ज राजस्व रिकॉर्ड किये जाने के आदेश फरमावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार राजस्व घड़साना से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अनुसार चक 10 एसएम के प.नं. 8/29 का किला नं. 1 ता 24 का कुल 5.9720 हैक्टेयर अनकमाण्ड रकबा हरनेक सिंह पुत्र बक्शीश सिंह कौम हरिजन साकिन घुदुवाला गैर खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है तथा मौके पर आवंटी के द्वारा हिस्से/ठेके पर काश्त करवायी जाती है। प्रार्थी द्वारा पेश किये गये दस्तावेज पैन कार्ड, आधार कार्ड में श्री हरनेक सिंह पुत्र बक्शीश सिंह दर्ज है। आवंटन आदेश मि0न0 4431 निर्णय दिनांक 02.07.1981 में हरनेक सिंह पुत्र बख्शी सिंह हरिजन तहसील पदमपुर दर्ज है।

पैरोकार उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आवंटन पत्रावली में प्रार्थी के पिता का नाम बक्शीश सिंह ही दर्ज है आवंटन आदेश में सहवन से बख्शी सिंह दर्ज हो गया। इसके अतिरिक्त पहचान संबंधी समस्त दस्तावेजों एवं जमाबंदी में भी बक्शीश सिंह दर्ज है। मौके पर प्रार्थी का ही कब्जा काश्त है। इसलिए आवंटन आदेश में प्रार्थी के पिता का नाम दुरूस्त करते हुए बख्शी सिंह की जगह बक्शीश सिंह किया जावे। राजपैरोकार द्वारा कोई एतराज प्रस्तुत नहीं किया गया।

बहस पर मनन किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि उक्त वर्णित भूमि हरनेक सिंह पुत्र बख्शी सिंह को आवंटित हुई थी, आवंटन पत्रावली में प्रार्थी के पिता का नाम बक्शीश सिंह दर्ज हैं, आवंटन आदेश में बख्शी सिंह दर्ज है। प्रार्थी के अन्य पहचान संबंधी दस्तावेजों में भी बक्शीश सिंह दर्ज है। रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार उक्त भूमि मौके पर आवंटी के ही कब्जा काश्त में है जिससे प्रतीत

होता है कि हरनेक सिंह पुत्र बख्शी सिंह एवं हरनेक सिंह पुत्र बक्शीश सिंह एक ही व्यक्ति है तथा आवंटन आदेश में सहवन से गलत नाम दर्ज होना प्रतीत होता है। इसलिये आवंटन आदेश में उक्तानुसार नाम दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाकर तहसील घड़साना के चक 10 एसएम के प.नं. 8/29 मु.नं. 29 के किला नं. 1 ता 24 की कुल 5.972 हैक्टेयर अनकमाण्ड कृषि भूमि जो प्रार्थी हरनेक सिंह को आवंटित हुई थी, के आवंटन आदेश दिनांक 02.07.1981 में प्रार्थी का नाम हरनेक सिंह पुत्र बख्शी सिंह के स्थान पर हरनेक सिंह पुत्र बक्शीश सिंह अंकित किया जाकर दुरुस्त किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 20.06.2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(अभिलाषा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
घड़साना